न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हरिद्वार।
संक्षेपतः विचारित मामले में निर्णय अन्तर्गत धारा 287 भा.ना.सु.सं.,2023

वाद संख्या– 3816/2026
CNR No. UKHA020099762026

रिपोर्ट या परिवाद की तारीख–
चालानकर्ता–एस आई अजय शाह।
अभियुक्त का नाम– अरविन्द कुमार मलिक पुत्र प्रीतम सिंह मलिक।
प्रश्न– आपके विरूद्ध यह आरोप है कि आप वाहन संख्या **UP 12AT 9948** को तेजी एवं लापरवाही से चला रहे थे ? जिसकी चालान संख्या **346/2026** है।
उत्तर– जी हां।

प्रश्न– क्या आप अपना अपराध स्वेच्छा पूर्वक स्वीकार करते है?
उत्तर– जी हां।

अभियुक्त के बयान दर्ज किये गये। अभियुक्त द्वारा आक्षेपित अपराध स्वेच्छा पूर्वक स्वीकार कर लिया गया है। तद्नुसार अभियुक्त के विरूद्ध मोटर वाहन अधिनियम की धारा 177,179,184,181 का अपराध पूर्णतः साबित होता है। आदेश निम्नवत पारित किया जाता है।

आदेश

अभियुक्त को मोटर वाहन अधिनियम की धारा 179 के तहत दोषसिद्ध किया जाता है। अभियुक्त को उपरोक्त धाराओ के अन्तर्गत अपराध के लिए मुब0 **2500/** रूपये जुर्माने से दण्डित किया जाता है। जुर्माना अदा न करने पर अभियुक्त 5 दिन का साधारण कारावास भोगेगा। वाद तद्नुसार निस्तारित किया जाता है।

(ज्योति बाला)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
हरिद्वार।

अभियुक्त के द्वारा जुर्माना धनराशि जमा करने की प्रार्थना की गयी।
अभियुक्त के द्वारा जुर्माना रसीद नम्बर/ट्रॉजेक्शन आई0डी0 नम्बर **3534576383919** के माध्यम से जमा किया गया। मामले में अब कोई कार्यवाही शेष नहीं है। पत्रावली दाखिल दफ्तर की जाये। सम्बन्धित थानाध्यक्ष वाहन अविलम्ब वाहन स्वामी के पक्ष में निर्मुक्त करना सुनिश्चित करें।

(ज्योति बाला)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
हरिद्वार।
17.08.2026